# न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/16/2022

सुखनन्दन सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत ललिता मुडिया तहसील वैर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 19–10–2022, प्रकरण संख्या 26/22

उपस्थित :–

1–श्री विमल सिंह अभिभाषक अपीलान्ट

2–श्री संजीव शर्मा, ई0ओ0 पैरोकार रसद

**निर्णय** दिनांक 26–06–2024

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 19–10–2022 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलान्ट डीलर का अनुज्ञापत्र निरस्त करते हुये सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आज्ञा के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली सलंग्न की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि रेस्पो का यह आरोप कि दिनांक 10.10.21 को दुकान बन्द थी गलत है इस दिन प्रार्थी द्वारा राशन का वितरण कार्य किया गया है। वक्त जांच दुकान पर स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन किया हुआ था। नोटिस का आरोप न.3 गलत है क्यों कि अपीलान्ट को गेंहू सप्लाई करने वाली फर्म चन्द्रवती हॉस्पिटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म द्वारा माह सितम्बर रेगूलर 4 क्विंटल दिनांक 8.9.2021 तथा सितम्बर रेगूलर की सप्लाई 104 क्विटंल गेंहू दिनांक 11.9.2021 को सप्लाई किया गया व सितम्बर एडीशनल का 1.40 क्वि. गेहूँ दिनांक 25.9.2021 को अपीलान्ट को सप्लाई किया गया था इस प्रकार अपीलांट को माह सितम्बर 2021 में कुल 311.06 क्वि0 गेहूँ को फर्म चन्द्रवती

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

हॉस्पिटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म द्वारा सप्लाई किया गया, इस सम्बन्ध योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने पत्रावली में शामिल चालानों की फोटो प्रतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। राज्य सरकार के नियमानुसार अपीलांट को दो माह सितम्बर व अक्टूवर में कुल गेंहू का आंबटन 301.55 क्विं किया गया था सितम्बर का आंबटन 98.49 क्वि. था अक्टूवर में 100.26 क्विं0 वर्ष 2021 में कुल योग 301.55 क्वि. आंबटित हुआ। इस प्रकार यह साबित है कि अपीलांट को फर्म चन्द्रवती हॉस्पिटैलिटी एण्ड ट्यूरिज्म द्वारा राज्य सरकार के आंबटन के हिसाब से 311.06 – 301.55 = 9.51 क्वि. गेहूँ अधिक आंवटन कर दिया गया जो राज्य सरकार के आंबटन से 9.51 क्वि0 अधिक है जो अपीलान्ट की दुकान पर था । प्रार्थी ने यह अधिक मिला गेंहू कालाबाजारी के लिये नहीं बचाया था, ये तो अधिक सप्लाई प्राप्त होने के कारण अधिक रखा हुआ था जिसमें 4.45 क्विटल गेंहू उपभोक्ताओं द्वारा छोड़ा गया था इस प्रकार कुल 13.96 क्विं दुकान में रखा था। उपभोक्ताओ के गेंहू के बाबत बताया कि उपभोक्ता पोस मशीन पर अंगूठा निशानी करने के बाद जब गेंहू का हिसाब करते हैं तो पैसा कम होने की बजह से शेष गेंहू को छोड़ कर बाद में लेकर जाने की कहकर पैसे भुगतान के मुताविक गेहूं ले जाते हैं। उपभोक्ताओं के बाद में पेसा लेकर आने पर उन्हें शेष बचा गेंहू वितरण कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी डीलर ने सम्बन्धित उपभोक्ताओ के शपथ पत्र भी पेश किये थे परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तहत न्यायालय को चाहिये था कि वो सम्बन्धित उपभोक्ताओं को बुलाकर उनके बयान वगै. लेते तथा जांच करते परन्तु ऐसा नहीं कर प्रवर्तन निरीक्षक की गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर बिना माईन्ड एप्लाई किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने तर्को में बताया कि डीलर की दुकान पर वक्त जांच मौके पर पोस मशीन में 2053 किलो गेंहू एपीएल के 1464 किलो एवं बीपीएल 787 किलो इस प्रकार कुल 4304 किलो गेंहू दर्ज मिले। परन्तु भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में कुल 57 क्वि. गेंहू पाया गया। इस प्रकार दुकान में वांछित मात्रा 43.04 क्विटल से कुल 13.96 क्विं. गेहूं अधिक पाया गया । डीलर द्वारा कालाबाजारी की नियत से ये गेंहू उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर बचा कर रखा हुआ था। पैरोकार रसद का यह कहना है कि अपीलान्ट ने शपथ पत्र वगे0 जो पेश किये वे बाद की सोच के तहत अपने कृत्यों को छिपाने के लिये पेश किये हैं। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। वक्त जांच. डीलर की दुकान में 13.96 कि0 गेंहू अधिक पाया गया है। अपीलान्ट डीलर का यह कहना कि फर्म चन्द्रवती हॉस्पिटैलिटी एण्ड ट्यूरिज्म द्वारा राज्य सरकार के आंबटन के हिसाब से 9.51 क्वि. गेहूँ अधिक आंवटन कर दिया गया जो राज्य सरकार के आंबटन से 9.51 क्वि0 अधिक था जो अपीलान्ट की दुकान पर रखा हुआ था यह तथ्य जांच का विषय है, तथा 4.45 क्विटल गेंहू उपभोक्ताओं का

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

था इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के कथित प्रस्तुत शपथ पत्र की जांच के लिये सम्बन्धित उपभोक्ताओं के तलब कर बयान वगे. लिये जाकर परीक्षण किया जाना है। अतः प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रकरण का परीक्षण कर साक्ष्य वगे. लेकर अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश 19–10–2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार विधि सम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें, तथा अपीलान्ट की वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जावे। निर्णय प्रति के साथ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26–06–2024 को सुनाया गया।

( डॉ. अमित यादव )
जिला कलक्टर,
भरतपुर